

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1955 /2021

दिनांक 03.09.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 अपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समाप्त अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समाप्त अवकाश की दिनांक
1	श्रीमती वन्दना शर्मा (R.J1157), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर।	30	2020 - 2022	13.08.2021

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02-09-2021

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2017/ 5518

दिनांक 03.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
3. श्रीमती वन्दना शर्मा (R.J1157), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02-09-2021

oml
2.9.21
R